Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 97/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप–धारा (1), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5) और धारा 16 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–
(i) तालिका में, –

(क) क्रम संख्या 3 के सामने,–

(क) मद (iii) में, खाना (3) में, "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (vi) में, खाना (3) में, "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) मद (iii) और (vi) में, खाना (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:–

"परन्तु जहां सेवाओं की किसी सरकारी संस्था में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के सम्बंध में उक्त संस्था द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";

(घ) मद (vii) के खाना (3),(4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(3)	(4)	(5)
"(vii) हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खण्ड (119) में यथा परिभाषित कार्य संवीदा की संयुक्त आपूर्ति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक गठन का होता है) शामिल है।	2.5	परन्तु जहां किसी सरकारी संस्था को सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी संस्था द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए।
(vii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबद्ध सेवाओं में यथा परिभाषित कार्यसंविदा की संयुक्त आपूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के सामने, मद (ii) में, खाना (5) में "या" शब्द के स्थान पर, "और" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 8 के सामने, मद (vi) में, खाना (3),(4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात,–

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	परन्तु व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लाइन में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया व्याख्या संख्या (iv) देखें]
	या	
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (v) और खाना (3), (4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	परन्तु सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृप्या व्याख्या संख्या (iv) देखें]
	या	
	6	–
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 10 के सामने, मद (i) और खाना (3), (4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	परन्तु सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान लाइन में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृप्या व्याख्या संख्या (iv) देखें]
	या	
	6	-";

(च) क्रम संख्या 15 के सामने, मद (v) और खाना (3), (4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(v) प्रथम जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रति शत। **नोट.–** इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात प्रथम जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगी।	–
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-";

(छ) क्रम संख्या 17 के सामने, मद (vi) और खाना (3), (4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(vi) प्रथम जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रति शत। **नोट.–** इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात प्रथम जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगी।	–
(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे पर या किराए की सेवाएं	माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले राज्य कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में,–

(i) मद (i) में, उप–मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 71 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद;";

(ii) मद (i) में, उप–मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–मद रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(घक) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य कर लगता है;";

(iii) मद (i) में, उप–मद (ड़) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–मद रखी जाएगी, अर्थात्:–

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खादय और खादय उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 23 के अधीन आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के अधीन आने वाली खुदरा बिक्री हेतु रखने जाने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन के;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के अधीन आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;'';

(iv) मद (i) के पश्चात्, खाना (3), (4) और (5) में और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
''(iक) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं– (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी मालों का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से राज्य कर लगता है।	6	–'';

(v) मद (ii) में, उप–मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–मद रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी मालों का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रति शत की दर से राज्य कर लगता है।'';

(vi) मद (ii) के पश्चात्, खाना (3), (4) और (5) में इसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
''(iiक) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी मालों का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से राज्य कर लगता है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रकिया के माध्यम से सेवाएं।	6	–'';

(vii) मद (iii) में, ''और (ii)'' शब्द, कोष्ठक तथा अंकों के स्थान पर, '',(iक), (ii) और (iiक)'' प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(झ) क्रम संख्या 27 के सामने, मद (i) और खाना (3), (4) और (5) और इसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
''(i) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी मालों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित, पत्रिकाओं (जर्नल्स) ओर पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रति शत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य कर लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	–'';

(ii) पैरा 2 में, ''मद (i) पर'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''मद (i) पर, मद (iv) [उप–मद (ख), उप–मद (ग) और उप–मद (घ)], मद (v) [उप–मद (ख), उप–मद (ग), उप–मद (घ))], मद (vi) [उप–मद (ग)]'' शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(iii) पैरा 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

''(ix) ''सरकारी प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय जिसका गठन,–

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौपें गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(x) "सरकारी संस्था" से अभिप्राय है, किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) जिसका गठन,–

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. 97/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9, Sub-section (1) of Section 11, Sub-section (5) of Section 15 and Sub-section (1) of Section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 46/ST-2, dated the 30th June, 2017,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, -

A. in item (iii), under column (3), for the words "Government, a local authority or a Governmental authority", the words "Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

B. in item (vi), under column (3), for the words "a local authority or a Governmental authority" the words "a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

C. in items (iii) and (vi), under column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be";

D. for item (vii), under columns (3), (4) and (5)and the entries thereagainst, the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii)Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75 percent of the value of the works contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be;

(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.	6	-
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	-";

(b) against serial number 8, for item (ii), under column (5), for the word "or" the word "and" shall be substituted;

(c) against serial number 8, for item (vi), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-";

(d) against serial number 9, for item (v), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-";

(e) against serial number 10, for item (i), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-";

(f) against serial number 15, for item (v), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(v) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent of the rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. **Note.**—Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	-
(vi) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), and (v) above.	9	-";

(g) against serial number 17, for item (vi) under columns (3) (4) and (5) and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 percent of the rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. **Note.**—Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	-
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-";

(h) against serial number 26,under column (3), -

(i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

"(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(ii) in item (i),after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

"(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract **State Tax** @ 2.5 per cent or Nil;"

(iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -

"(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);

(g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;

(h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(iv) after item (i), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of job work in relation to- (a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract **State Tax** @ 6per cent.	6	-";

(v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: -

"(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract **State Tax** @ 2.5 percent or Nil.";

(vi) after item (ii), under columns (3), (4) and (5) and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract **State Tax** @ 6per cent.	6	-";

(vii) in item (iii), for the word, brackets and figures "and (ii)" the figures, brackets, letters and word ", (ia), (ii) and (iia)" shall be substituted;

(i) against serial number 27, for item (i), under columns (3), (4) and (5)and entries thereagainst the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract **State Tax** @ 6 percent or 2.5percent or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-";

(ii) in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;

(iii) in paragraph 4, after clause (viii), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(ix) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(x) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise & Taxation Department.

55677–C.S.–H.G.P., Chd.